



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042023-245280
CG-DL-E-20042023-245280

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]
No. 247]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2023/चैत्र 30, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2023/CHAITRA 30, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

सं. 31/2023-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 309(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 55/2022- सीमा-शुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2022, जो संख्यांक सा.का.नि. 796(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2022, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, शर्त संख्या 1 के सामने, शर्त (शर्तों) में, "सोनौली" शब्द के स्थान पर, "सोनौली या नेपालगंज रोड" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 21 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/55/2023-टीओ(टीआरयू-1)]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक 55/2022- सीमा-शुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2022, जो संख्यांक सा.का.नि. 796(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2022, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना सं. 30/2023- सीमा-शुल्क, तारीख 10 अप्रैल, 2023, द्वारा संशोधित की गई थी, जो संख्यांक सा.का.नि. 277(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2023, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2023

No. 31/2023-Customs

G.S.R. 309(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 55/2022-Customs, dated the 31st October 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 796(E), dated the 31st October 2022, namely:-

In the said notification, in the Annexure, against Condition number 1, in the Condition(s), for the word “Sonauli”, the words “Sonauli or Nepalgunj Road” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 21st day of April, 2023.

[F. No. CBIC-190354/55/2023-TO(TRU-I)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 55/2022-Customs, dated the 31st October 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 796(E), dated the 31st October 2022, and was last amended *vide* notification No. 30/2023-Customs, dated the 10th April, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 277(E), dated the 10th April, 2023.